[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

सा.आ. (अ) - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. 480(अ), तारीख 12 जून, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से परामर्श करके, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 है।

(2) यह कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) [जिसे यहां इसके पश्चात् कंपनी अधिनियम कहा गया है] की धारा 2 के खंड (42) में यथापरिभाषित किसी विदेशी कंपनी सहित निम्नलिखित के सिवाय प्रत्येक कंपनी पर लागू होगा, -

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी;
(ii) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन यथापरिभाषित कोई बीमा कंपनी;
(iii) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई कंपनी;
(iv) कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (62) के अधीन यथापरिभाषित कोई एकल व्यक्ति कंपनी और कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (85) के अधीन यथापरिभाषित कोई लघु कंपनी; और
(v) कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी संदत्त पूंजी और आरक्षितियां पचास लाख रुपए से अनधिक है और जिस पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से पच्चीस लाख रूपए से अधिक का कोई ऋण बकाया नहीं है और जिसका वित्त वर्ष के दौरान किसी समय पर व्यापारावर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होंगे** - कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक कंपनी के जांच किए गए लेखाओं पर बनाई गई प्रत्येक रिपोर्ट में, जिसके संबंध में 01 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें यह आदेश लागू है, पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले शामिल होंगे।

3. **लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय** - किसी कंपनी जिसको यह आदेश लागू है लेखाओं के बारे में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर कथन सम्मिलित होंगा, अर्थात् -

(i) (क) क्या कंपनी पूर्ण विशिष्टियों जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरें भी हैं दर्शित करते उचित अभिलेखो का रखरखाव कर रही है;

(ख) क्या उन नियत आस्तियों की प्रबंध मंडल द्वारा युक्तियुक्त अंतरालों पर भौतिक सत्यापन किया गया है; क्या ऐसे सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति पाई गई है और यदि हां, तो क्या उनका लेखाबहियों में उपयुक्त समाधान किया गया है;

(ii) (क) क्या प्रबंध मंडल द्वारा युक्तियुक्त अंतरालों पर तालिका भौतिक सत्यापन किया गया है;

(ख) क्या प्रबंध मंडल द्वारा तालिका के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और पर्याप्त है। यदि नहीं तो, ऐसी प्रक्रियाओं अपर्याप्तताओं की रिपोर्ट की जानी चाहिए;

(ग) क्या कंपनी तालिका के उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव करती है और क्या भौतिक सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति पाई गई और यदि हां तो, क्या लेखाबहियों में उनका उपयुक्त समाधान किया गया है;

(iii) क्या कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या आने वाले अन्य पक्षों को प्रतिभूति या अप्रतिभूति, कोई ऋण दिया है। यदि हां तो,

(क) क्या मूल रकम और ब्याज की रसीदें भी नियमित हैं; और

(ख) यदि बकाया रकम एक लाख रुपए से अधिक है, क्या कंपनी द्‌वारा मूल और ब्याज की वसूली के लिए तर्कसंगत उपाय किए गए हैं;

(iv) क्या तालिका और नियत आस्तियों की खरीद के लिए तथा माल और सेवाओं की बिक्री के लिए, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कोई उपर्युक्त, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख कमजोरियों में सुधार करने में लगातार असफलता रही हैं।

(v) कंपनी के निक्षेप स्वीकार किए जाने की दशा में, क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्‌वारा जारी निदेशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से धारा 76 के उपबंध या कोई अन्य संगत उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, जहां लागू हो, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं तो, उल्लंघनों की प्रकृति कथन किया जाना चाहिए; यदि कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण द्‌वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो क्या उसका अनुपालन किया गया है या नहीं?

(vi) जहां केंद्रीय सरकार द्‌वारा कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, क्या ऐसे लेखों और अभिलेख तैयार किए गए है और उनका रखरखाव किया गया है;

(vii) (क) क्या कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, समुचित प्राधिकरनों को कोई बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और उपकर अन्य कानूनी देयताओं सहित निर्विवाद कानूनी देयताएं उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा करने में नियमित है और यदि नहीं तो, संबंधित वित्त वर्ष के अंतिम तिथि को ऐसी देयताओं को जमा करने के लिए देय तारीख से छह मास से अधिक अवधि के लिए बकाया कानूनी देयताएं लेखापरीक्षक द्‌वारा दर्शित की जाएंगी।

(ख) यदि आयकर या बिक्री कर या संपत्ति कर या सेवाकर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्यवर्धित कर या उपकर के बकाए किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए जाने की दशा में, रहने की स्थिति में, उसमें सम्मिलित रकम और उस फोरम का उल्लेख किया जाएगा जहां विवाद लंबित है (संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन मात्र को विवाद नहीं माना जाएगा)।

(ग) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत उपबंधों के अनुसरण में निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित राशि निर्धारित समय के भीतर ऐसी निधि में अंतरित की गई है।

(viii) क्या किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जो पांच वर्षों से अन्यून अवधि के लिए पंजीकृत हो, वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी समेकित हानि इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से कम नहीं है और क्या इसमें ऐसे वित्त वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में नकद हानि की है;

(ix) क्या कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या प्रतिभूति धारकों के बकायों के पुनर्संदाय में व्यतिक्रम किया है? यदि हां, तो व्यतिक्रम की अवधि और राशि की रिपोर्ट दी जाए;

(x) क्या कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी दी है, जिसकी निबंधन और शर्तें कंपनी के हित के विपरीत हैं;

(xi) क्या उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया, अवधि ऋण हेतु आवेदन किया गया था;

(xii) क्या वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध या कंपनी द्वारा कोई कपट किया गया है; और यदि हां, तो उसकी प्रकृति और अंतर्वलित रकम दर्शित की जाए।

4. <u>अननुकूल या अर्हित उत्तरों के लिए कारण बताएं जाएं</u> - (1) जहां लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, पैरा 3 में उल्लिखित किसी प्रश्न का उत्तर अननूकूल और अर्हित है तो, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऐसे यथास्थिति, अननुकूल और अर्हित उत्तर, का कारण भी कथित किया जाएगा।

(2) जहां लेखापरीक्षक किसी विशिष्टि प्रश्न के उत्तर में कोई मंतव्य देने में असमर्थ हो वहां उपरी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य को ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देने के लिए संभावित कारणों के साथ दर्शित किया जाए।

[फा.सं. 17/45/2015-सीएल-V]

अमरदीप
10/04/2015
अमरदीप सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Order

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. ____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 480 (E), dated the 12th June, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title, application and commencement.** - (1) This order may be called the Companies (Auditor's Report) Order, 2015.

(2) It shall apply to every company including a foreign company as defined in clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) [hereinafter referred to as the Companies Act], except -

(i) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(ii) an insurance company as defined under the Insurance Act,1938 (4 of 1938);

(iii) a company licensed to operate under section 8 of the Companies Act;

(iv) a One Person Company as defined under clause (62) of section 2 of the Companies Act and a small company as defined under clause (85) of section 2 of the Companies Act; and

(v) a private limited company with a paid up capital and reserves not more than rupees fifty lakh and which does not have loan outstanding exceeding rupees twenty five lakh from any bank or financial institution and does not have a turnover exceeding rupees five crore at any point of time during the financial year.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Auditor's report to contain matters specified in paragraphs 3 and 4. - Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act, on the accounts of every company examined by him to which this Order applies for the financial year commencing on or after 1st April, 2014, shall contain the matters specified in paragraphs 3 and 4.

3. Matters to be included in the auditor's report. - The auditor's report on the account of a company to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely:-

(i) (a) whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets;

(b) whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;

(ii) (a) whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management;

(b) are the procedures of physical verification of inventory followed by the management reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business. If not, the inadequacies in such procedures should be reported;

(c) whether the company is maintaining proper records of inventory and whether any material discrepancies were noticed on physical verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;

(iii) whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act. If so,

(a) whether receipt of the principal amount and interest are also regular; and

(b) if overdue amount is more than rupees one lakh, whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;

(iv) is there an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Whether there is a continuing failure to correct major weaknesses in internal control system.

(v) in case the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules framed there under, where applicable, have been complied with? If not, the nature of contraventions should be stated; If an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?

(vi) where maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, whether

such accounts and records have been made and maintained;

(vii) (a) is the company regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as at the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable, shall be indicated by the auditor.

(b) in case dues of income tax or sales tax or wealth tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax or cess have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. (A mere representation to the concerned Department shall not constitute a dispute).

(c) whether the amount required to be transferred to investor education and protection fund in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and rules made thereunder has been transferred to such fund within time.

(viii) whether in case of a company which has been registered for a period not less than five years, its accumulated losses at the end of the financial year are not less than fifty per cent of its net worth and whether it has incurred cash losses in such financial year and in the immediately preceding financial year;

(ix) whether the company has defaulted in repayment of dues to a financial institution or bank or debenture holders? If yes, the period and amount of default to be reported;

(x) whether the company has given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions, the terms and conditions whereof are prejudicial to the interest of the company;

(xi) whether term loans were applied for the purpose for which the loans were

obtained;

(xii) whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year; If yes, the nature and the amount involved is to be indicated.

4. Reasons to be stated for unfavourable or qualified answers.– (1) Where, in the auditor's report, the answer to any of the questions referred to in paragraph 3 is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified answer, as the case may be.

(2) Where the auditor is unable to express any opinion in answer to a particular question, his report shall indicate such fact together with the reasons why it is not possible for him to give an answer to such question.

[File No. 17/45/2015-CL-V]

10/04/2018

Amardeep Singh Bhatia
Joint Secretary to the Government of India